न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 06.01.2020

अपील संख्या 2020 / 00008

उनवान

1– छीतर लाल पुत्र किशनगोपाल जी, जाति धाकड
2– चन्द्र मोहन पुत्र हरिबल्लभ जी, जाति धाकड
3– बद्री लाल पुत्र गजानन्द, जाति धाकड
4– जानकी लाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति धाकड
5– पृथ्वीराज उर्फ रामलाल पुत्र गजानन्द, जाति धाकड
6– मनीष कुमार आत्मज किशनलाल, जाति धाकड
निवासीगण दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां .... अपीलांट

बनाम

1– माफी मंदिर श्री सुखदयाल जी विराजमान दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
2– श्रीलाल पुत्र जमनालाल, जाति बैरागी, निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

दिनांक : 02.08.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 84 / 2016 / दावा निर्णय दिनांक 18.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 36 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दीगोद खालसा, पटवार हल्का दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां की खसरा नं. 254 रकबा 23 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 656 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय दिनांक 18.052017 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी

2/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा प्रस्तुत वाद अपीलांटान को पक्षकार बनाये बिना ही डिक्री कर दिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेंट कम 2, रेस्पोडेंट कम 1 मंदिर का न तो पुजारी है और न ही मंदिर से रेस्पोडेंट नं. 2 का कभी कोई संबंध रहा है, ना ही रेस्पोडेंट के पिता व पूर्वजों द्वारा माफी मंदिर श्री सुखदयाल जी विराजमान दीगोद खालसा की पूजा की है और न ही पुजारी है, किन्तु फिर भी असत्य तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश कर डिक्री करवा लिया, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.10.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो के साथ धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पेश किया।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया और अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी. पी. सी. स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं निर्णय का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2013–2032 में भैरूदास पुत्र घासीदास नाम बतौर पुजारी दर्ज होने के आधार पर निर्णय दिया कि "उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर आंशिक स्वीकार किया जाता है कि यदि जांच उपरान्त बतौर पुजारी सही होना पाया जावे तो तहसील कार्यालय में संधारित पुजारियों के नाम दर्ज रजिस्टर में वादी का नाम बतौर पुजारी मंदिर श्री सुखदयाल जी महाराज विराजमान दीगोद खालसा में तहसीलदार छीपाबडोद को आदेश दिये जाते हैं।"

2/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का नाम जांच उपरान्त तहसील कार्यालय में संधारित पुजारियों के रजिस्टर में बतौर पुजारी जोड़ने के आदेश दिये गये जो हमारी राय में विधिसम्मत निर्णय है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों का अवलोकन किया। अपीलांट ने अपील मीमो के अभिवचन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे अभिवचनों की सत्यता प्रमाणित हो। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में माफी मंदिर बनाम छीतरलाल वगैरहा तथा माफी मंदिर बनाम राजस्थान सरकार नामक वाद जैरकार है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये।

अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के माफी मंदिर के संबंध में जारी परिपत्रों के अनुसार पूर्ण विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– छीतर लाल पुत्र किशनगोपाल जी, जाति धाकड
2– चन्द्र मोहन पुत्र हरिबल्लभ जी, जाति धाकड
3– बद्री लाल पुत्र गजानन्द, जाति धाकड
4– जानकी लाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति धाकड
5– पृथ्वीराज उर्फ रामलाल पुत्र गजानन्द, जाति धाकड
6– मनीष कुमार आत्मज किशनलाल, जाति धाकड
निवासीगण दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

अपीलांट्स

बनाम

1– माफी मंदिर श्री सुखदयाल जी विराजमान दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
2– श्रीलाल पुत्र जमनालाल, जाति बैरागी, निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद

रेस्पोडेंट्स

अपील नं 2020/00008
मु.द.नं0 84/2016

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – उपखण्ड अधिकारी ,छीपाबडौद
निर्णय व डिक्री दिनांक – 18.05.2017

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 09 माह 07 सन् 2024

श्री **घनश्याम नागर** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **नरेन्द्र गुप्ता** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.2017 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 02 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया ।

मोहर

2/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)